D:\ADN\Letter, 2011.doc- 347 -

आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 3(7)पोषा/ICDS/2010/ जयपुर, दिनांकः

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः– पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण आदि के संबंध में।
संदर्भः– निदेशालय पत्र क्रमांक 55654–686 दिनांक 01.06.2011

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आप अपने जिले में संचालित परियोजनाओं के गोदामों का तीन दिवस में भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की किसी भी परियोजना में एक माह से अधिक आवश्यकता का पोषाहार स्टॉक में नहीं है एवं परियोजना गोदामों /आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार का भण्डारण सूखे, स्वच्छ, सीलन रहित एवं हवादार स्थान पर किया जाना सुनिश्चित करें। पूरक पोषाहार के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण में अनियमितता पाये जाने तथा परियोजना गोदाम /आंगनबाडी केन्द्रों पर अवधिपार /खराब पोषाहार पाये जाने पर परियोजना अधिकारी/संबंधित कर्मचारी के विरूद्व सी.सी.ए नियम–17 के तहत प्रस्ताव प्रेषित करे। प्रतिमाह पोषाहार की मांग प्रेषित करते समय परियोजना स्तर पर उपलब्ध पोषाहार की मात्रा का आकंलन करते हुए आगामी एक माह की वास्तविक आवश्यकता अनुसार ही पोषाहार की मांग प्रेषित करावें।

आप द्वारा किये गये निरीक्षण एवं कार्यवाही की ईकजाई रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन वांछित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इस कम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब परियोजनाओं के गोदामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट एवं आप द्वारा की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करावें।

कृपया पत्र को प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की प्रति।

Sd/-
अति. निदेशक (पो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकः एफ. 3(7)पोषा/ICDS/2010/ 95793-96080 जयपुर, दिनांकः 21/12/12

प्रतिलिपिः–1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि किसी भी आंगनबाडी केन्द्र पर अवधिपार पोषाहार उपलब्ध नहीं हो। प्रतिमाह पोषाहार की मांग प्रेषित करते समय आंगनबाडी केन्द्रों पर उपलब्ध पोषाहार की मात्रा का आकंलन करते हुए आगामी एक माह की वास्तविक आवश्यकता अनुसार ही पोषाहार की मांग प्रेषित करावें। आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध नहीं होने अथवा आवश्यकता से अधिक पोषाहार पाये जाने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक लेखाधिकारी (पो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर